

THROUGH HUMANITY TO PEACE



Indian Red Cross Society



Uttarakhand State Branch

Constituted Under Act. XV of 1920

President

HONOURABLE GOVERNOR OF UTTARAKHAND

दिनांक 12.07.2022 को चेयरमैन, यूथ रेडक्रास समिति उत्तराखण्ड
की अध्यक्षता में आयोजित बैठक का कार्यवृत्त -

भारतीय रेडक्रास समिति राज्य शाखा उत्तराखण्ड की यूथ रेडक्रास समिति की प्रथम बैठक दिनांक 12.07.2022 को पूर्वाह्न 10:30 बजे, वाइस चांसलर कार्यालय, दून विश्वविद्यालय, देहरादून में एजेण्डा अनुसार सम्पन्न हुई। बैठक की उपस्थिति निम्नानुसार है -

1. डा0 सुरेखा डंगवाल, कुलपति दून विश्वविद्यालय/चेयरमैन यूथ रेडक्रास उत्तराखण्ड।
2. डा0 संदीप शर्मा, निदेशक उच्च शिक्षा/सदस्य यूथ रेडक्रास उत्तराखण्ड।
3. डा0 हरी सिंह, निदेशक तकनीकी शिक्षा/सदस्य यूथ रेडक्रास उत्तराखण्ड।
4. डा0 मंगल सिंह मंडरवाल, रजिस्ट्रार, दून विश्वविद्यालय, देहरादून उत्तराखण्ड।
5. डॉ. नवीन सिंघल, प्रो0 डी0आई0टी0 विश्वविद्यालय/सदस्य यूथ रेडक्रास उत्तराखण्ड।
6. श्री ओम प्रकाश भट्ट, सदस्य मैनेजिंग कमेटी/सदस्य यूथ रेडक्रास समिति उत्तराखण्ड।
7. श्री गम्भीर सिंह चौहान, सदस्य मैनेजिंग कमेटी/सदस्य यूथ रेडक्रास समिति उत्तराखण्ड।
8. डॉ. एम0 एस0 अंसारी, महासचिव, भारतीय रेडक्रास समिति राज्य शाखा उत्तराखण्ड।
9. श्री हरीश चन्द्र शर्मा, उपसचिव, भारतीय रेडक्रास समिति राज्य शाखा उत्तराखण्ड।

बैठक में, महासचिव भारतीय रेडक्रास समिति राज्य शाखा उत्तराखण्ड द्वारा यूथ रेडक्रास समिति चेयरमैन डा0 सुरेखा डंगवाल, वाइस चांसलर दून विश्वविद्यालय सहित बैठक में उपस्थित सभी आमंत्रित सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात् चेयरमैन यूथ रेडक्रास समिति द्वारा शिक्षण संस्थानों में यूथ रेडक्रास समिति का गठन कर अधिक से अधिक छात्रों को यूथ रेडक्रास में पंजीकरण कराने हेतु मा0 राज्यपाल द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करते हुए अवगत कराया कि रेडक्रास समाज को जोड़े रखने का एक आयाम है, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, तकनीकी शिक्षा संस्थानों, चिकित्सा शिक्षा संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों को रेडक्रास के साथ जुड़कर सेवा भाव के साथ समाज हेतु कार्य करना है, हम कम्यूनिटी के बिना कुछ नहीं हैं, हमें लगातार कम्यूनिटी के साथ कार्य करते रहना है।

बैठक में निम्नवत बिन्दुओं पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया -

1. भारतीय रेडक्रास समिति राज्य शाखा उत्तराखण्ड द्वारा समस्त महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, तकनीकी शिक्षा संस्थानों, चिकित्सा शिक्षा संस्थानों में यूथ रेडक्रास गठन हेतु तैयार की गई गाइड लाइन का अवलोकन करते उसमें उल्लिखित बिन्दुओं पर बैठक में विस्तृत चर्चा की गई।

बैठक में चर्चा के पश्चात् समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि यूथ रेडक्रास पंजीकरण शुल्क, छात्र-छात्राओं के प्रवेश के समय ही रु. 100.00 (कुल निर्धारित शुल्क में जोड़ते हुए – यूथ रेडक्रास पंजीकरण शुल्क) लिया जाय, इसके लिए शासन स्तर से समस्त महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, तकनीकी शिक्षा संस्थानों, चिकित्सा शिक्षा संस्थानों को सचिवालय स्तर से शासनादेश जारी करने अनुरोध किया जाय। गाइड लाइन के अनुसार विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, तकनीकी शिक्षा संस्थानों, चिकित्सा शिक्षा संस्थानों में यूथ रेडक्रास कमेटी का गठन हो, एवं सम्बन्धित संस्थाओं के पास जमा शुल्क से नियमानुसार यूथ रेडक्रास सम्बन्धित गतिविधियों का गाइड लाइन के अनुसार आयोजन हो, निर्धारित शुल्क को रु. 100.00 करते हुए तैयार किये गये यूथ रेडक्रास गाइड लाइन को सर्व सम्मति से बैठक में अनुमोदित किया गया।

2. मा0 राज्यपाल/अध्यक्ष रेडक्रास उत्तराखण्ड द्वारा आम सभा बैठकों में दिये गये निर्देशानुसार अधिक से अधिक यूथ छात्र-छात्राओं को रेडक्रास से जोड़ने एवं विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, तकनीकी शिक्षा संस्थानों, चिकित्सा शिक्षा संस्थानों में यूथ रेडक्रास गठन कर गतिविधियों के आयोजन करने के निर्देशों के क्रम में रेडक्रास उत्तराखण्ड द्वारा ऑन लाइन पोर्टल (<https://redcrossuttarakhand.in>) तैयार किया गया है, पोर्टल का शुभारम्भ मा0 राज्यपाल उत्तराखण्ड एवं मा0 स्वास्थ्य मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री एवं आपदा प्रबंधन मंत्री द्वारा दिनांक 27.07.2021 को किया गया। संस्थानों में यूथ रेडक्रास गठन के सम्बन्ध में शासन स्तर से शासनादेश भी जारी किया गया है। वर्तमान तक 03 महाविद्यालयों में 40 से अधिक छात्रों ने यूथ रेडक्रास की सदस्यता प्राप्त की है, जिसका ऑन लाइन प्रमाण पत्र छात्रों एवं सम्बन्धित महाविद्यालयों को भी दिया गया है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि ऑन लाइन यूथ रेडक्रास सम्बन्धित वेबसाइट पोर्टल को सभी संस्थान अपने वेबसाइट में लिंक कर दें, न्यूनतम 50 छात्रों के पंजीकरण के पश्चात् ही सम्बन्धित विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, तकनीकी शिक्षा संस्थानों, चिकित्सा शिक्षा संस्थानों को प्रमाण पत्र दिया जाय। छात्रों के ऑन लाइन पंजीकरण हेतु (<https://redcrossuttarakhand.in>) सम्बन्धित विश्वविद्यालयों, तकनीकी शिक्षा संस्थानों, चिकित्सा शिक्षा संस्थानों को, पूर्व शासनादेश के अनुसार निदेशक स्तर से अपने अधीनस्त संस्थानों को पत्र प्रेषित किया जाय कि इसी सत्र में प्रवेश के समय छात्रों को यूथ रेडक्रास से ऑन लाइन माध्यम से जुड़ने हेतु निर्देशित किया जायें, ताकि अधिक से अधिक छात्रों का यूथ रेडक्रास में पंजीकरण हो सके। संस्थान में 50 छात्रों के यूथ रेडक्रास में पंजीकरण होने के पश्चात् भारतीय रेडक्रास समिति राज्य शाखा उत्तराखण्ड द्वारा पंजीकृत छात्रों हेतु रेडक्रास बैज, रेडक्रास कैप, रेडक्रास स्कार्फ प्रदान किया जायेगा।

3. यूथ रेडक्रास उत्तराखण्ड का राज्य स्तरीय सेमीनार (4 दिवसीय) कार्यक्रम के बारे में चर्चा – उत्तराखण्ड स्तर पर महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, तकनीकी शिक्षा संस्थानों, चिकित्सा शिक्षा संस्थानों का संयुक्त रूप से यूथ रेडक्रास का 4 दिवसीय सेमीनार आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। राज्य स्तर पर उक्तानुसार चयनित पंजीकृत यूथ रेडक्रास छात्रों, (प्रत्येक संस्थान से 02 या 04 पंजीकृत छात्रों) के मध्य यूथ रेडक्रास कार्यक्रम का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है, जिससे छात्रों के ज्ञान कौशल का आदान प्रदान हो सके, चार दिवसीय आवासीय शिविर में छात्र-छात्राओं को आपदा प्रबंधन एवं सीनियर फर्स्ट एड का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जायेगा, उक्त शिविर के आयोजन एवं रुपरेखा आदि पर विचार विमर्श किया गया।

बैठक में निर्णय लिया गया कि इस वर्ष यूथ रेडक्रास का राज्य स्तरीय सेमीनार किया जाना चाहिए, इसके लिए कार्यक्रम की रूप रेखा बनाते हुए तथा उस पर आने वाले व्ययभार/बजट बनाकर विचार-विमर्श करना होगा, तथा कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया जा सकता है, यह स्पष्ट हो, बैठक में उपस्थित डीआटी विश्वविद्यालय के प्रो० नवीन सिंहल द्वारा उक्त कार्यक्रम का आयोजन डीआटी विश्वविद्यालय में कराये जाने पर सहमति प्रदान की।

5. यूथ रेडक्रास के छात्रों/स्वयं सेवकों को अध्ययन हेतु प्रवेश परीक्षा/विभिन्न स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में अधिमान दिये जाने पर विचार-विमर्श – भारतीय रेडक्रास समिति राज्य शाखा उत्तराखण्ड की पूर्व में आयोजित आम सभा की बैठकों में मा० राज्यपाल/अध्यक्ष रेडक्रास उत्तराखण्ड द्वारा रेडक्रास की गतिविधियों में भाग लेने वाले तथा रक्तदान करने वाले छात्र-छात्राओं को अधिमान प्रदान करने हेतु नियमावली में आवश्यक संशोधन करने हेतु निर्देश दिये हैं। उक्त निर्देशों के अनुपालन में बैठक में निर्णय लिया गया कि एनएसएस एवं एनसीसी की तरह रेडक्रास में पंजीकृत छात्र-छात्राओं को अधिमान प्रदान करने हेतु शासन स्तर से पत्राचार कर आवश्यक कार्यवाही की जाय।

बैठक में चर्चा के दौरान चेयरमैन यूथ रेडक्रास समिति की आज्ञा से निम्नानुसार बिन्दुओं पर विचार-विमर्श के पश्चात् निर्णय लिया गया—

1. ऐसे विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, तकनीकी शिक्षा संस्थानों एवं चिकित्सा शिक्षा संस्थानों जहाँ 31 अगस्त 2022 तक यूथ रेडक्रास का गठन कर सर्वाधिक छात्र पंजीकृत होंगे। महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, तकनीकी शिक्षा संस्थानों, चिकित्सा शिक्षा संस्थानों में से 03 संस्थानों को भारतीय रेडक्रास समिति राज्य शाखा उत्तराखण्ड की इस वर्ष आयोजित राज्य स्तरीय सेमीनार में “सम्मान पत्र” प्रदान करते हुए सम्मानित किये जाने का निर्णय लिया गया।

2. ऐसे प्रथम 05 विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, तकनीकी शिक्षा संस्थानों, चिकित्सा शिक्षा संस्थानों जहाँ कि 50 से अधिक छात्र पंजीकृत होंगे, उन्हें भारतीय रेडक्रास समिति राज्य शाखा उत्तराखण्ड की ओर से 100 हाइजीन किट सम्बन्धित संस्थान द्वारा गोद लिए गये गाँव में जरूरतमंदों को यूथ रेडक्रास में पंजीकृत छात्रों के माध्यम से वितरण करने हेतु प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

3. विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, तकनीकी शिक्षा संस्थानों, चिकित्सा शिक्षा संस्थानों जहाँ कि 50 से अधिक छात्रों के पंजीकरण होने के पश्चात् भारतीय रेडक्रास समिति राज्य शाखा उत्तराखण्ड द्वारा पंजीकृत छात्रों हेतु रेडक्रास बैज, रेडक्रास कैप, रेडक्रास स्कार्फ एवं आई कार्ड आदि प्रदान कर वहाँ यूथ रेडक्रास का एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किये का निर्णय लिया गया।

4. नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, तकनीकी शिक्षा संस्थानों, चिकित्सा शिक्षा संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों के लिए कौशल विकास से जुड़े विषयों, चारित्रिक विकास से जुड़े विषयों एवं समाज कार्य आदि के लिए मानक निर्धारित किये हैं। इसके लिए कुल 160 अंक का क्रेडिट निर्धारित किया गया है। उसमें छात्र-छात्राओं को समाज कार्य करने एवं उसे प्रमाणित करने के लिये, रेडक्रास को अधिकृत करने का सुझाव दिया एवं इसके लिए शासन स्तर से अनुमादेन प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये।



अन्त में चेयरमैन यूथ रेडक्रास समिति द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए अनुरोध किया कि हम सबकों यूथ रेडक्रास के गठन एवं अधिक से अधिक छात्रों को यूथ रेडक्रास में पंजीकृत करते हुए छात्रों को अध्ययन कार्य के साथ-साथ समाज, जरूरतमंद/दीन दुःखियों की मदद करने के लिए प्रेरित करते रहना है, तथा समाज के साथ मिलकर कार्य करने पर बल दिया।

(डा. सुरेखा डगवाल)

कुलपति दून विश्वविद्यालय
चेयरमैन यूथ रेडक्रास समिति
उत्तराखण्ड

भारतीय रेडक्रास समिति, उत्तराखण्ड राज्य शाखा

पत्रांक — भा.रे.क्रा.स.उ./19/2022-23/222

दिनांक 20.07.2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित —

1. सचिव, श्री राज्यपाल, राज्यपाल सचिवालय उत्तराखण्ड देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
4. सचिव तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
5. समस्त सदस्य, यूथ रेडक्रास समिति उत्तराखण्ड।
6. चेयरमैन, मैनेजिंग कमेटी भारतीय रेडक्रास समिति उत्तराखण्ड।
7. वाइस चेयरमैन, भारतीय रेडक्रास समिति उत्तराखण्ड।
8. समस्त सदस्य, मैनेजिंग कमेटी, भारतीय रेडक्रास समिति उत्तराखण्ड।

भवदीय

(डॉ.एम.एस.अंसारी)

अवैतनिक महासचिव